

:: अधिसूचना ::

भोपाल, दिनांक : दिसम्बर, 2011

क्रमांक : एफ.1-7/2010/बी-2/दो : राज्य शासन एतद्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट पिटीशन (सिविल) क्रमांक 310/1996 में दिनांक 22.9.2006 को पारित निर्णय में पुलिस सुधारों के संबंध में दिये गये निर्देशों के अनुसरण में राज्य सुरक्षा परिषद् का गठन करता है। परिषद् का गठन निम्नानुसार रहेगा :-

(1)	मुख्यमंत्री	—	अध्यक्ष
(2)	गृह मंत्री	—	सदस्य
(3)	नेता प्रतिपक्ष	—	सदस्य
(4)	मुख्य सचिव	—	सदस्य
(5)	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, गृह	—	सदस्य
(6)	पुलिस महानिदेशक	—	सदस्य सचिव
(7)	राज्य शासन द्वारा नामनिर्दिष्ट पांच ऐसे अशासकीय सदस्य (Independent member) जो सर्वोच्च निष्ठा, निष्पक्षता एवं दक्षता धारित करते हों।		

2. राज्य सुरक्षा परिषद् के कार्य :-

राज्य सुरक्षा परिषद् निम्नानुसार सलाहकारी कार्यों का संपादन करेगी :-

- (1) विधि के अनुसार पुलिस व्यवस्था को कार्यकुशल, कारगर, संवेदनशील एवं जवाबदेह बनाने के लिये व्यापक नीति विषयक दिशा-निर्देश तैयार करना।
- (2) पुलिस सेवा के कार्यों के मूल्यांकन हेतु सामान्य निर्देश। इन निर्देशों में कार्यकारी दक्षता, जन संतोष, पीड़ित संतोष के साथ-साथ पुलिस अनुसंधान एवं प्रतिक्रिया, जवाबदेही, संसाधनों का अधिकतम उपयोग एवं मानव अधिकार मापदण्डों का निर्वाह शामिल हो।
- (3) प्रत्येक वर्षांत में उक्त कार्यों के साथ-साथ निर्धारित निर्देशों के संदर्भ में पुलिस सेवा के निष्पादन के मूल्यांकन पर एक प्रतिवेदन तैयार करना।
- (4) राज्य सुरक्षा परिषद् अपने सलाहकारी कार्यों का संपादन करने के लिये वर्ष में कम से कम एक बैठक आयोजित करेगी।

3. नामनिर्दिष्ट सदस्यों की अपात्रता के आधार :-

- (1) भारत का नागरिक नहीं है, या
- (2) विधि के किसी न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध ठहरा दिया गया हो या जिसके विरुद्ध विधि के किसी न्यायालय में आरोप विरचित कर दिये गये हों, या
- (3) भ्रष्टाचार या कदाचरण के आधार पर सेवा से पदच्युत कर दिया गया हो या हटा दिया गया हो या उसे अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे दी गई हो, या
- (4) विकृत चित्त का हो।

4. नामनिर्दिष्ट सदस्यों की कार्य अवधि :-

नामनिर्दिष्ट सदस्यों की कार्य अवधि अधिकतम तीन वर्ष रहेगी।

5. नामनिर्दिष्ट सदस्यों का हटाया जाना :-

राज्य शासन किसी नामनिर्दिष्ट सदस्य को सुरक्षा परिषद् से निम्नलिखित आधारों पर हटा सकेगा :-

- (1) अक्षमता सिद्ध हो जाने पर, या
- (2) दुर्व्यवहार सिद्ध हो जाने पर, या
- (3) शारीरिक या मानसिक अशक्तता के कारण असमर्थ हो जाने पर या सदस्य के रूप में अपने कृत्यों का निर्वहन करने के लिये अन्यथा अयोग्य हो जाने पर, या
- (4) विधि के किसी न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध ठहरा दिये जाने पर या उसके विरुद्ध विधि के किसी न्यायालय में आरोप विरचित कर दिये जाने पर, या
- (5) विकृत चित्त का हो जाने पर।

6. राज्य सुरक्षा परिषद् का वार्षिक प्रतिवेदन :-

राज्य सुरक्षा परिषद् का वार्षिक प्रतिवेदन जनता को आसानी से उपलब्ध होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार

(सुरेन्द्र उपाध्याय)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
गृह विभाग